

સુર-સહયતા સમાન



1. स्व सहायता समूह क्या हैं?

1. स्व सहायता समूह, समरूप ग्रामीण निर्धनों द्वारा स्वेच्छा से गठित एक समूह है जिसमें समूह के सदस्य अपने आप से जितनी भी बचत आसानी से कर सकते हैं उसका अंशदान उत्पादक, उपभोग अथवा आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण के रूप में देने के लिए परस्पर सहायक होते हैं।
2. स्व सहायता समूह, एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले सशक्तिशील ग्रामीण गरीबों का एक छोटा समूह होता है जिसमें समूह के लोग स्वेच्छा से नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी राशि बचाते हैं और सामूहिक निधि से योगदान के लिये पारस्परिक रूप से सहायक रहते हैं।
3. सामूहिक निर्णय लेते हैं।
4. समूह, प्रबंधन करता है।

5. सामूहिक नेतृत्व के द्वारा अपने आपसी मतभेदों का समाधान करता है।
6. आपसी सहयोग एवं चर्चा से समूह की गतिविधियाँ चलाता है।
7. समूह प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करता है।
8. समूह लेखा—जोखा रखता है या नहीं रख पाता है तो संबंधित कार्यकर्ता के लेखा—जोखा के प्रति ध्यान रखता है।
9. समूह द्वारा तय किये गये निवेदनों और शर्तों पर संपार्शिक जमानत के बगैर ऋण उपलब्ध कराता है।

2. स्व सहायता समूह की संरचना

स्व सहायता समूह की संरचना में कोई निश्चित नियम नहीं हैं, लेकिन एक आदर्श समूह हेतु कुछ बिन्दु इस प्रकार हैं :—

1. समूह में सदस्यों की संख्या 10—20 हो सकती है ।
2. समूह के सदस्यों की आयु 18— 60 वर्ष के मध्य होना चाहिये ।
3. सदस्यों को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण हो ।
4. समूह के सभी सदस्य निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभाएं ।
5. सदस्यों में स्व—विकास की इच्छा होना चाहिये ।
6. समूह को पारस्परिक मतभेद सुलझाने में सहायक होना चाहिए ।
7. समूह के सदस्यों को अपना नाम लिखने में समर्थ होना चाहिए ।
8. समूह को शोषण के विरोध करने में सक्षम होना चाहिए ।
9. समूह द्वारा समूह के संचालन हेतु नियम कानून बनाये जाना चाहिए ।

3. लक्ष्य समूहों की जानकारी

- प्रमुख लक्ष्य समूह निम्नलिखित है :-
- 1. भूमिहीन, कृषि श्रमिक
- 2. सीमांत कृषक
- 3. ग्रामीण शिल्पी
- 4. छोटे व्यवसायी
- 5. असंगठित क्षेत्र में निर्धन महिलाएं ।

4. रख सहायता समूह के गठन से लाभ

(अ) समूह सदस्यों को लाभ:-

1. आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का निराकरण
2. आय सर्जक गतिविधियों, छोटे-छोटे व्यवसाय एवं उद्योगों का विकास
3. जीवन स्तर में सुधार
4. प्रति सदस्य आय में वृद्धि
5. साहूकारों पर निर्भरता में कमी
6. सामुदायिक परसम्पत्तियों का सृजन
7. सशक्तिकरण
8. एकता एवं सहभागिता की भावना का विकास एवं लाभ
9. विभिन्न विकास कार्यक्रमों का लाभ
10. बैंकों से आपसी सामंजस्य एवं ऋण में आसानी।
11. एक व्यक्ति, सभी व्यक्ति, सम्पूर्ण गांव अर्थात् एकता में अनेकता व अनेकता में एकता का विकास।

स्व सहायता समूह के गठन से लाभ

(ब) गठन से संस्थान का लाभः—

1. विकासात्मक प्रयासों को प्रोत्साहन
2. समायोजक तथा आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सामंजस्य
3. क्रेडिट प्लस दृष्टिकोण द्वारा निर्धनों तक पहुंच बढ़ाना
4. सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के लिये साधन के रूप में मान्यता
5. बैंकों तथा निर्धनों के बीच सेतु के रूप में उभरना ।

स्व सहायता समूह के गठन से लाभ

(स) समूह गठन से बैंकों को लाभ

1. प्राथमिक क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति
2. लेनदेन लागत में कमी ।
3. फेलाव में बढ़ोत्तरी
4. बैंकों द्वारा स्व सहायता समूहों को प्रदत्त ऋणों के लिये रियायती ब्याज दर पर राष्ट्रीय बैंकों से 100 प्रतिशत पुनर्वित्त
5. वसूली में आसानी एवं सुविधा
6. औपचारिक कागजी कार्यवाही में कमी ।

5. स्व सहायता समूह की विशेषताएं

1. लक्ष्य समूह गरीब महिला/पुरुष /अपंग (विवाहित एवं अविवाहित)
2. समूह में 10–20 सदस्य हों (एक परिवार का एक ही सदस्य हो)
3. समूह, लिंग, जाति के आधार पर गठित हो । जैसे महिला समूह, पुरुष समूह, अपंग समूह, अ0जा0/अ0ज0जा0, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, अल्प संख्यक ।
4. एक क्षेत्र, एक मोहल्ला, एक समुदाय, एक साथ में रहते हों ।
5. समूह की सामाजिक व आर्थिक स्थिति समान हो ।
6. नियमित रूप से साप्ताहिक/पाद्धिक बैठकें ।
7. बैठक में अनुपस्थिति पर दण्ड
8. सर्व सम्मति से निर्णय
9. नियमित रूप से बचत
10. बचत न देने पर दण्ड (समूह सदस्यों द्वारा दण्ड राशि तय करें)
11. समूह के स्व नियम
12. सदस्यों में आपसी विश्वास एवं सहयोग का होना ।
13. ऋण का लेन–देन
14. समूह के नाम से बैंक में बचत करना ।
15. वित्तीय संस्थाओं से जुड़कर आय–उपार्जन गतिविधियों में संलग्न होना ।
16. अपने क्षेत्र, गांव में पहचान बनाये ।

6. स्व सहायता समूह की बैठक में चर्चा विषय

1. सामाजिक विकास
2. आर्थिक विकास
3. शैक्षणिक विकास
4. समस्या विश्लेषण
5. हिसाब—किताब, लेखा—जोखा पर चर्चा ।
6. बचत राशि एवं ऋण आदि को बढ़ाने पर चर्चा ।
7. समूह की व्यवस्थाओं के लिये नियम पर चर्चा ।
8. समूह में नई जानकारियां प्रदान करना एवं समूह सदस्यों की अपनी नई सोच विकसित करना ।
9. समूह की बैठकों में नियमित उपस्थिति हो, हर सदस्य सभी बैठकों में आप चर्चा करें ।

10. समूह में संचालन की व्यवस्थाएं निर्माण करना ।
11. बैठकों का संचालन अलग—अलग व्यक्ति द्वारा किया जावे ।
12. समूह के कार्य का मूल्यांकन करें ।
13. कार्य—विभाजन एवं उत्तरदायित्व ग्रहण करने की भावना ।
14. सदस्यों की निविलंब तथा अविराम उपस्थिति ।
15. आगामी बैठक का समय एवं स्थान पूर्व निश्चित करना ।
16. समूह में एकत्रित साप्ताहिक मासिक बचत राशि को बैंक या सदस्य के पास जमा करने की जिम्मेदारी बांटना ।
17. समूह की बैठक में सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, क्षेत्र / कार्यक्रमों का आयोजना करना जैसे – सांस्कृतिक, धार्मिक ।

समूह की निर्णय प्रक्रिया :- जब समूह को कोई निर्णय लेना होता है तो समूह के व्यक्तियों की एक राय होना चाहिए ।

7. स्व सहायता समूह की गुणवत्ता के मापदण्ड—ग्रेडिंग

1. आकार
2. नियमावली
3. बैठक
4. बैठक में उपस्थिति
5. उत्तरदायित्व
6. कार्यक्रम आयोजन
7. बचत
8. ऋण
9. चक्रीय कोष
10. ऋण वसूली
11. संसाधनों का उपयोग
12. रिकार्ड का होना
13. समूह गान
14. सदस्यों की सक्रियता

1. स्व सहायता समूहों को प्रशिक्षण
2. स्व सहायता समूहों का महासंघ
3. स्व सहायता समूहों को वित्तीय
सहायता के संबंध में भारतीय
रिजर्व बैंक एवं नाबाड़ के निर्देश

શાન્દ્યવાદુ

એંબીજો ગુપ્તા,
મુરલ્યા વના સંદક્ષાક્ષર
અનુસંધાન એવં વિદ્વાર કૃતા ખીચાલ